End - 18

(67)

क्षेत्रा-1045/15-7-16 161/2000

प्रेषक,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सहयोग केन्द्र,
प्रीत विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा 1(1) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 जून, 2000

विषय:- अनुमान प्रताप धानुक तरस्वती बालिका विद्या मंदिर नौहाझील नगर, वृन्दावन (मथुरा) को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुमान प्रताप धानुक तरस्वती बालिका विद्या मंदिर नौहाझील नगर वृन्दावन, मथुरा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय को एतद्वारा नौहाझील का सम्बन्धित पर स्थानान्तरण कराना होगा ।

2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3. विद्यालय में इस समय प्रवेशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4. केन्द्रीय बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी । यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से उक्त केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

5. विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें समान होंगी और उन्हें सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे । (41)

Attested
Arjun
Principal
Hanuman Prasad Dhanuk
Sarswati Balika Vidya Mandir
Senior Secondary School
Vrindavan

17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पैकिजों में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्विलोकन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना तत्पश्चात है जिस अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तत्पश्चात द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

( श्याम सुन्दर अग्निहोत्री )
संयुक्त सचिव ।

पृ0सं0-1045(1)/15-7-सह0नि0वि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा ।
4- निरीक्षक, आगरा मण्डलीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबंधक, हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर गोशाला नगर वृन्दावन (मथुरा) को ।

आज्ञा से,

( श्याम सुन्दर अग्निहोत्री )
संयुक्त सचिव ।

40